



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236422
CG-DL-E-09062022-236422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944

No. 2494]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISTHA 18, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

का.आ. 2621(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5248(अ) तारीख 13.12.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया – बोकारो- धामरा पाइप लाइन (जे एच बी दी पी एल) & स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट							
पारादिप स्पर पाइपलाइन (सेक्सन - 2A)							
अनुसूची							
राज्य - ओडिशा							
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल			
				अधिसूचित क्षेत्र		संशोधित क्षेत्र	
				हेक्टर आर वर्गमिटर		हेक्टर आर वर्गमिटर	
जाजपुर	बरि	बारिङ	64	00	02	00	00 15 52
			69	00	00	00	00 00 01
			65	00	00	08	00 00 76
			66	00	00	01	00 00 06
			67	00	00	24	00 02 37
			68	00	00	43	00 04 25
			73	00	00	01	00 00 11
			74	00	00	41	00 04 06
			75	00	00	19	00 01 94
			76	00	00	00	00 00 01
			203	00	00	19	00 01 93
			80	00	00	95	00 09 46
			82	00	00	17	00 01 74
			199	00	00	48	00 04 75
			91	00	00	37	00 03 66
			198	00	00	01	00 00 06
			92	00	00	60	00 06 03
			193	00	00	48	00 04 83
			192	00	00	03	00 00 25
			184	00	00	61	00 06 08
			194	00	00	18	00 01 80

185	00	00	24	00	02	39
183	00	00	64	00	06	39
186	00	00	03	00	00	25
187	00	00	13	00	01	29
181	00	00	50	00	04	98
180	00	00	96	00	09	62
179	00	00	09	00	00	88
3327	00	00	17	00	01	70
255	00	00	58	00	05	84
3328	00	00	26	00	02	64
178	00	00	01	00	00	14
257	00	01	26	00	12	60
258	00	00	02	00	00	17
287	00	00	45	00	04	53
286	00	00	01	00	00	06
288	00	00	10	00	01	03
3207	00	00	03	00	00	27
3220	00	00	18	00	01	81
289	00	00	00	00	00	04
290	00	00	62	00	06	19
293	00	00	74	00	07	37
292	00	00	33	00	03	30
291	00	00	01	00	00	09
298	00	00	81	00	08	14
294	00	00	33	00	03	34
297	00	01	13	00	11	32
295	00	00	02	00	00	18
296	00	00	60	00	06	03
3266	00	01	30	00	13	01
351	00	00	00	00	00	00
3265	00	01	42	00	14	24
311	00	00	33	00	03	27
312	00	00	77	00	07	73

323	00	00	68	00	06	80
324	00	00	48	00	04	84
322	00	00	76	00	07	56
325	00	00	41	00	04	12
321	00	00	03	00	00	27
326	00	00	00	00	00	01
860	00	04	18	00	41	75
894	00	00	60	00	05	99
3330	00	00	22	00	02	22
895	00	00	20	00	02	00
892	00	02	33	00	23	29
889	00	01	10	00	11	01
875	00	00	14	00	01	42
888	00	01	52	00	15	23
887	00	00	02	00	00	22
3375	00	00	07	00	00	71
3381	00	00	16	00	01	60
878	00	00	47	00	04	70
879	00	00	49	00	04	89
883	00	00	08	00	00	75
881	00	00	38	00	03	77
3346	00	00	20	00	02	04
880	00	00	08	00	00	81
3401	00	00	44	00	04	44
882	00	00	38	00	03	81
3400	00	00	47	00	04	70
3399	00	00	24	00	02	41
3374	00	00	01	00	00	05
977	00	00	32	00	03	24
996	00	00	20	00	01	98
976	00	00	97	00	09	68
983	00	00	03	00	00	31
978	00	00	83	00	08	34

	980	00	00	03	00	00	32
	979	00	00	09	00	00	88
	981	00	00	50	00	04	99
	3369	00	00	01	00	00	14
	989	00	00	42	00	04	16
	988	00	00	67	00	06	74
	982	00	00	01	00	00	08
	3054	00	00	36	00	03	55
	987	00	00	44	00	04	42
	986	00	00	08	00	00	83
	3055	00	00	32	00	03	22
	985	00	00	63	00	06	30
	1094	00	00	43	00	04	31

[फा.सं. एल-14014/121/2022-जीपी-II(ई-43132)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th June, 2022

S.O. 2621(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 5248(E) dated 13.12.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALADIA - BOKARO - DHAMRA PIPELINE & SPUR PIPELINE PROJECT PARADEEP SPUR PIPELINE (SECTION-2A)									
SCHEDULE									
STATE: ODISHA									
DISTRICT	TAHASIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA					
				NOTIFIED AREA			REVISED AREA		
				HECT.	ARE	SQ.	HECT.	ARE	SQ.
				MTR.		MTR.	MTR.		MTR.
JAJPUR	BARI	BARING	64	00	02	00	00	15	52
			69	00	00	00	00	00	01
			65	00	00	08	00	00	76
			66	00	00	01	00	00	06
			67	00	00	24	00	02	37
			68	00	00	43	00	04	25
			73	00	00	01	00	00	11
			74	00	00	41	00	04	06
			75	00	00	19	00	01	94
			76	00	00	00	00	00	01
			203	00	00	19	00	01	93
			80	00	00	95	00	09	46
			82	00	00	17	00	01	74
			199	00	00	48	00	04	75
			91	00	00	37	00	03	66
			198	00	00	01	00	00	06
			92	00	00	60	00	06	03
			193	00	00	48	00	04	83
			192	00	00	03	00	00	25
			184	00	00	61	00	06	08
			194	00	00	18	00	01	80
			185	00	00	24	00	02	39
			183	00	00	64	00	06	39
			186	00	00	03	00	00	25
			187	00	00	13	00	01	29
			181	00	00	50	00	04	98

180	00	00	96	00	09	62
179	00	00	09	00	00	88
3327	00	00	17	00	01	70
255	00	00	58	00	05	84
3328	00	00	26	00	02	64
178	00	00	01	00	00	14
257	00	01	26	00	12	60
258	00	00	02	00	00	17
287	00	00	45	00	04	53
286	00	00	01	00	00	06
288	00	00	10	00	01	03
3207	00	00	03	00	00	27
3220	00	00	18	00	01	81
289	00	00	00	00	00	04
290	00	00	62	00	06	19
293	00	00	74	00	07	37
292	00	00	33	00	03	30
291	00	00	01	00	00	09
298	00	00	81	00	08	14
294	00	00	33	00	03	34
297	00	01	13	00	11	32
295	00	00	02	00	00	18
296	00	00	60	00	06	03
3266	00	01	30	00	13	01
351	00	00	00	00	00	00
3265	00	01	42	00	14	24
311	00	00	33	00	03	27
312	00	00	77	00	07	73
323	00	00	68	00	06	80
324	00	00	48	00	04	84
322	00	00	76	00	07	56
325	00	00	41	00	04	12
321	00	00	03	00	00	27

326	00	00	00	00	00	01
860	00	04	18	00	41	75
894	00	00	60	00	05	99
3330	00	00	22	00	02	22
895	00	00	20	00	02	00
892	00	02	33	00	23	29
889	00	01	10	00	11	01
875	00	00	14	00	01	42
888	00	01	52	00	15	23
887	00	00	02	00	00	22
3375	00	00	07	00	00	71
3381	00	00	16	00	01	60
878	00	00	47	00	04	70
879	00	00	49	00	04	89
883	00	00	08	00	00	75
881	00	00	38	00	03	77
3346	00	00	20	00	02	04
880	00	00	08	00	00	81
3401	00	00	44	00	04	44
882	00	00	38	00	03	81
3400	00	00	47	00	04	70
3399	00	00	24	00	02	41
3374	00	00	01	00	00	05
977	00	00	32	00	03	24
996	00	00	20	00	01	98
976	00	00	97	00	09	68
983	00	00	03	00	00	31
978	00	00	83	00	08	34
980	00	00	03	00	00	32
979	00	00	09	00	00	88
981	00	00	50	00	04	99
3369	00	00	01	00	00	14
989	00	00	42	00	04	16

	988	00	00	67	00	06	74
	982	00	00	01	00	00	08
	3054	00	00	36	00	03	55
	987	00	00	44	00	04	42
	986	00	00	08	00	00	83
	3055	00	00	32	00	03	22
	985	00	00	63	00	06	30
	1094	00	00	43	00	04	31

[F.No. L-14014/121/2022-GP – II (E-43132)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.